प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक-491/2005

* होरी लाल, पिता - जनक राम चंद्र, आयु लगभग 76 वर्ष, निवासी ग्राम नंगझार पुलिस थाना मलखारौदा, जिला- जांजगीर-चम्पा [छ.ग.]

---- **अपीलार्थी**

बनाम

* छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा - पुलिस स्टेशन, मलखारोदा, जिला-जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

---- **उत्तरवादीगण**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अफरोज खान, अधिवक्ता
उत्तरदाता-राज्य की ओर से	:	श्री राजेंद्र त्रिपाठी, राज्य के पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा,

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार शुक्ला

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति द्वारा

बोर्ड पर आदेश

06/12/2016

1. इस दांडिक अपील में विचार किए जाने वाले मुख्य मुद्दे हैं:-

(1) क्या कच्ची झोपड़ी को धारा 436 आईपीसी के अर्थ में मानव निवास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए स्थान माना जा सकता है।

(2) क्या अपराध उस स्थिति में भी माना जाएगा, जब पीड़ित, भूमि का स्वामी न हो, लेकिन निर्माण अतिक्रमित सरकारी भूमि पर किया गया हो।

(3) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1989') की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपराध तब बनता है जब इस आधार पर कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसा अपराध किया गया है कि पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है।

2. अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 436 और अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा तथा 500/- रुपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा पर प्रश्न उठाया है।

3. अपीलार्थी और दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्त तिजराम के खिलाफ आरोप यह है कि दिनांक 11.04.1999 को लगभग 10 बजे उन्होंने कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) और उसके पति पूरन सिंह (अ.सा.-2), जो गोंड आदिवासी समुदाय से हैं, के आवासीय मकान (कोठार) को नष्ट करने के आशय से आग लगाकर रिष्टि कारित की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) ने दिनांक 11.04.1999 को लगभग 12:30 बजे पुलिस को लिखित रूप में सूचना दी, जो कि रोजनामचा संख्या- 391 (प्रदर्श-पी-1) के माध्यम से दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि सुबह से उसका पति शादी के निमंत्रण में दूसरे गांव गया हुआ था और वह एक पत्थर की खदान में काम कर रही थी। सुबह करीब 7 बजे वह खाना खाकर घर आई और पत्थर खदान में काम करने चली गई। जब वह काम में व्यस्त थी, तभी भुखाऊ सतनामी (अ.सा.-9) ने बताया कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। उसने जाकर देखा तो उसका घर/झोपड़ी जल रही थी। प्रारंभिक विवेचना के बाद देहाती नालसी (प्रदर्श-पी-3) के खिलाफ दिनांक 13.04.1999 को 18:40 बजे बयान अभिलिखित किया गया, जिसमें कथन किया गया कि विवेचना के दौरान गवाह मनोज (अ.सा.-4), कृष्णा (परीक्षित नहीं) और बैनसिंह (अ.सा.-5) ने सूचित किया कि अपीलकर्ता और उसके एक रिश्तेदार ने आग लगाकर रिष्टि कारित की है और शिकायतकर्ता के घर को नुकसान पहुंचाया है। एफआईआर (प्रदर्श-पी-7) इसी तरह के आरोपों पर अभिलिखित की गई थी। पीड़िता कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आईपीसी की धारा 436 और अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. सह-अभियुक्त तिजराम को शुरू में गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 08.08.1999 को आयोजित टीआई परेड में उसकी पहचान होने पर उसे विचारण के लिए भेजा गया था, हालांकि, बाद में, वह फरार रहा, इसलिए, विचारण को अलग

कर दिया गया और केवल वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ जारी रखा गया। दिनांक 14.08.2013 को गिरफ्तारी के बाद तिजाराम को विचारण के लिए भेजा गया , तथापि दिनांक 04.02.2015 के निर्णय द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अफरोज खान ने दोषसिद्धि पर आपत्ति करते हुए कहा कि रोजनामचा में परिवादकर्ता ने भुखाऊ सतनामी (अ.सा.-9) से जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख किया है, जबकि अन्य साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अन्य गवाहों द्वारा जानकारी दी गई थी, इसलिए अभियोजन की पूरी कहानी संदिग्ध है। उन्होंने आगे कथन किया कि अभियोजन पक्ष का मामला तात्विक विरोधाभासों और चूकों से भरा हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि पूरन सिंह (अ.सा.-2) के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नाधीन संरचना अतिक्रमित भूमि पर बनाई गई थी, इस प्रकार, यह पीड़ित की नहीं थी, इसलिए, धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनता है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत सजा देने के लिए आवश्यक तत्व गायब हैं, इसलिए, उक्त दोषसिद्धि भी अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने इस तर्क पर दोषसिद्धि और सजा का समर्थन किया कि चूंकि मकान पर पीड़ित का कब्जा है, इसलिए आईपीसी की धारा 436 के तहत अपराध बनता है, भले ही संरचना अतिक्रमित भूमि पर बनी हो। उन्होंने यह भी कथन किया है कि मामूली विरोधाभासों और चूकों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और इसके अलावा अपीलकर्ता के खिलाफ अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध पूरी तरह से बनता है।

8. प्रतिद्वंद्वी निवेदनों की विवेचना करने और आक्षेपित दोषसिद्धि की वैधता और सत्यता का परीक्षण करने के लिए हमने संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया है। रोजनामचा (प्रदर्श-पी-1) में परिवादी कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) ने भुखाऊ सतनामी से सूचना प्राप्त करने का आरोप लगाया है। किसी भी बाद के चरण में अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि यह मनोज (अ.सा.-4) या बैनसिंह (अ.सा.-5) थे जिन्होंने परिवादी को सूचित किया था , न कि भुखाऊ सतनामी (अ.सा.-9) ने। अपने न्यायालयीन कथन में कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) और उसके पति पूरन सिंह (अ.सा.-2) ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) ने यह भी कथन किया है कि जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जा रही थी, तो मनोज (अ.सा.-4) और कृष्णा (जिनकी परीक्षण नहीं की गई) ने उन्हें अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदार की संलिप्तता के बारे में बताया और यह तथ्य

पुलिस को भी बताया गया था, लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि इसका उल्लेख रोजनामचासंहा में क्यों नहीं किया गया। मनोज कुमार (अ.सा.-4) लगभग 19 वर्ष का एक युवा लड़का है। उन्होंने अभियोजन पक्ष का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करते तथा उसके बाद घर में आग लगने के बाद बाहर आते देखा था। बैनसिंह (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है, हालांकि, अपने प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता के घर में आग लगाते नहीं देखा है, इसलिए, इस गवाह का बयान अभियोजन पक्ष की मदद नहीं कर सकता है। उसके बयान के बावजूद, तीन गवाहों अर्थात् कौशिल्या बाई (अ.सा.-1), पूरन सिंह (अ.सा.-2) और मनोज कुमार (अ.सा.-4) के बयान यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि जहां तक, धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना मामला साबित कर दिया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढतापूर्वक तर्क दिया गया कि पूरन सिंह (अ.सा.-2) के कथन से यह स्पष्ट है कि कोठार(अनाज यार्ड) का निर्माण अतिक्रमित सरकारी भूमि पर किया गया है, इसलिए धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनता है।

यह सही है कि ऐसा बयान पूरन सिंह (अ.सा.-2) द्वारा दिया गया है, तथापि, अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि कौशिल्या बाई (अ.सा.-1) और पूरन सिंह (अ.सा.-2) का प्रश्नाधीन संपत्ति पर कब्जा नहीं था या यह किसी अन्य द्वारा अतिक्रमित भूमि पर बनाया गया था।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा-436 किसी भी इमारत को नष्ट करने के लिए आग द्वारा रिष्टीकारित करने के बारे में बताती है, जिसका उपयोग आमतौर पर पूजा स्थल या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता है। इसमें ऐसे स्थान के स्वामित्व के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति का उस स्थान या संपत्ति पर कब्जा है, तो धारा 436 आईपीसी लागू होगी और अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि पीड़ित उस भूमि का वैध मालिक था जिस पर भवन या आवास इकाई का निर्माण किया गया था।

11. हमारे जैसे देश में, जहां समाज का बड़ा वर्ग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 436 में प्रयुक्त शब्द भवन को कोई सीमित अर्थ

देना विधायिका के उद्देश्य और आशय को ही विफल कर देगा । दूरस्थ और आंतरिक स्थानों में गरीब लोग फूस के मकानों में रहते हैं और अक्सर वे सरकारी नजूल या वन भूमि पर इमारतें खड़ी कर लेते हैं, हालांकि, जब तक कि वह इमारत उनकी है और उसका उपयोग मानव निवास या संपत्ति की देखरेख के लिए किया जाता है, तब तक यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि भूमि का मालिक कौन है । भारतीय दंड संहिता की धारा 436 में निहित भाषा कहीं भी यह नहीं बताती है कि अपराध तभी पूरा होगा जब प्रश्नाधीन संरचना या भवन पीड़ित के वैध स्वामित्व में होगा।

12. **राजू एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य**[1] के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पैरा 15 में इस प्रकार निर्णय दिया है:-

> "**15** ......मैं अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की इस तर्क से सहमत होने के लिए राजी नहीं हूँ कि यदि अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया भी जाए तो भी जो साबित हुआ है वह यह है कि अभियुक्त ने छप्पर में आग लगाई थी और इस तरह अभियुक्त अपीलकर्ताओं को धारा 436, आई.पी.सी. के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। "भवन" शब्द का अर्थ केवल 'पक्के' ढांचे के निर्माण के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की मदद से किए गए निर्माण तक सीमित नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार का संकीर्ण निर्माण किया जाएगा तो न्यायालयों के समक्ष कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें समाज के केवल धनी वर्ग के 'पक्के' भवनों को ही संरक्षण प्राप्त होगा तथा गरीब व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली झोपड़ियों के 'कच्चे' ढांचे को धारा 436, आई.पी.सी. के संरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। धारा 436, आई.पी.सी. को तैयार करने में विधायिका का प्रमुख उद्देश्य उन भवनों को संरक्षण प्रदान करना था, जिनका उपयोग मानव आवास के रूप में किया जाता है या जहां संपत्ति को संरक्षण हेतु संग्रहीत किया जाता है। छप्पर की छत वाला कच्चा झुम्पा, जिसके दरवाजे और शटर लगे होते थे तथा जिसमें अनाज और अन्य सामान रखा जाता था, भारतीय दंड संहिता की धारा 436 में दिए गए "भवन" के अर्थ में आता है तथा इसे

---

1 **1977 CRLJ 837**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सम्पत्ति की अभिरक्षा का स्थान कहा जा सकता है। गरीबी कोई पाप नहीं है । अल्प साधनों वाला एक गरीब आदमी घास या मिट्टी की झोपड़ियों में रहने को बाध्य होता है और जो भी सामान उसके पास होता है, उसे वह झोपड़ियों में रख देता है, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि आवश्यकता के कारण, जिसे वह रोक नहीं सकता । उपरोक्त कारणों से , मैं संतुष्ट हूं कि अभियोजन पक्ष आरोपी-अपीलकर्ता राजू पर दोषसिद्ध करने में सफल रहा है।"

13. **गुजरात राज्य बनाम वेदवा वघारी मोती नागजी एवं अन्य** [2] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी भवन जो सामान्यतः पूजा स्थल के रूप में या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह धारा 436 आईपीसी के अंतर्गत प्रयुक्त भवन के अंतर्गत आएगा और यह आवश्यक नहीं है कि केवल पक्की निर्माण को ही भवन कहा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हमारे विचार से, यदि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे कच्ची झोपड़ी जैसे ढांचे में रहने वाले गरीब लोगों के अधिकारों को ठेस पहुंचेगी, इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का यह हिस्सा अस्वीकार किए जाने योग्य है।

15. यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम , 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध नहीं बनता है क्योंकि पक्षकार एक -दूसरे को जानते थे और केवल इस आधार पर अपराध नहीं किया गया है कि पीड़ित आदिवासी समुदाय से है।

16. प्रस्तुत निवेदन को समझने के लिए, अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) में निहित प्रावधान को ध्यान में रखना उचित होगा। इसमें कहा गया है कि, जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए, भारतीय दंड संहिता के तहत किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध इस आधार पर करता है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा।

17. इस प्रकार, दंडात्मक परिणामों को आकर्षित करने के लिए, अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध तब माना जाएगा जब अभियुक्त भारतीय दंड

---

2 **1973 CRLJ 148**

संहिता के तहत अपराध करता है, जो 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय है, किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है या संपत्ति ऐसे सदस्य की है। इस धारा के अंतर्गत आरोप का मुख्य अर्थ न केवल अपराध का किया जाना है, बल्कि यह इस आधार पर किया जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य अभिलेख पर रखना चाहिए कि अपराध इस कारण और इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, अन्यथा यदि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए और फिर अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) की आवश्यकता की संतुष्टि के बिना दोषी ठहराया जाता है, तो यह दोहरे खतरे का मामला हो सकता है। यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध होगा और इसके अतिरिक्त अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत भी अपराध होगा, जब वे दो अलग-अलग अपराध हों, न कि केवल एक अपराध जिसके लिए किसी व्यक्ति को दो बार दोषी ठहराया गया हो, क्योंकि पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त दृष्टिकोण को अपनाते हुए, हम **दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से पुष्ट होते हैं, जिसमें पैरा 15 में निम्नलिखित अधिनिर्णित किया गया है :-

> "**15.** धारा 3 (2) (v) के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर अपराध किया गया होगा कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। वर्तमान मामले में इस आवश्यकता को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष का यह कहना नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति की सदस्य थी। इस आशय के साक्ष्य के अभाव में धारा 3 (2) (v) लागू नहीं होती। यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(v) लागू होती तो कानून के अनुसार , सज़ा आजीवन कारावास और जुर्माना होती। "

3 **2006 (3) SCC 771**

19. उपर्युक्त के दृष्टिगत, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। इस स्तर पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपराध की तिथि पर अपीलकर्ता की आयु 76 वर्ष थी, इसलिए उसकी वर्तमान आयु लगभग 90 वर्ष होगी। वह पहले ही लगभग 6 वर्ष की जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उसकी सजा को घटाकर पहले से काटी गई अवधि तक कर दिया जाए।

20. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपराध **17** वर्ष से अधिक समय पहले हुआ था**;** अपीलकर्ता की वर्तमान आयु लगभग **91-92** वर्ष होगी तथा वह पहले ही लगभग **6** वर्ष की जेल की सजा काट चुका है**,** यदि जेल की सजा की अवधि को पहले ही काट ली गई अवधि में घटा दिया जाए तो न्याय पूरा हो जाएगा।

21. तदनुसार**,** अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है और उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। उन्हें अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । धारा 436 आईपीसी के तहत सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक घटा दिया गया है। अपीलकर्ता जमानत पर है। सजा के निलंबन के समय पहले प्रस्तुत की गई जमानत और व्यक्तिगत बंध धारा 437-ए सीआरपीसी के प्रावधानों के मद्देनजर छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। अपीलकर्ता को निर्देश दिए जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/- **प्रशांत कुमार मिश्रा** **न्यायाधीश**	हस्ता/- **अनिल कुमार शुक्ला** **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**